फर्द अहकाम

बनाम

जय

आज्ञा आज्ञा का कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27/9/17	वादी पक्ष की ओर से तहसीलदार महोदय के समक्ष वादी की ओर से धारा 151 सी.पी.सी. के अन्तर्गत विविध पत्र तहसीलदार सं. 6 सन् 8 की पुनः तामील परिवादी सहि० ए.डी. से करवाकर पेश हेतु तलबाना पेश की। पत्रावली पास तलबी तहसीलदार दि० 1/11/17 को पेश है।	
1/11/17	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मुरादाबाद पत्रावली पेश [illegible] विपक्षीगण पी आ [illegible] मूल आदेशानुसार [illegible] 6/12/17 को पेश है।	
2	आज यह प्रार्थना पत्र वादी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त होने से पूर्व तलब की गयी पत्रावली फाइलिंग सहायक कलक्टर द्वारा वादी द्वारा तामील कराये जाने हेतु दिया गया कि वादिनी अपने पति की मृत्यु की सूचना वादी को दी। वादी द्वारा तामील कराये जाने हेतु दिया गया। वादी की पहचान एडवोकेट महोदय द्वारा की गयी। तामील कराकर निर्णय किया जाता है। वादी पर पक्षीय वादी एवं वादी का कथन सम्बन्धित के प्रार्थना कथन किया जाता है। चूंकि तहसीलदार के अनुसार वादी का वाद प्रार्थना कागज निरस्त किया जाता है। वाद स्वीकार किया जाता परिवादिनी किया जाता है। पत्रावली पेश सही कुमार [illegible] को की है।	शैलेन्द्र राज I A.S. Saxena

Scanned by CamScanner